संख्या-173/2018/2999/22-2-2017-17(799)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री इद्रीश उर्फ जुम्मन, निवासी जनपद- प्रतापगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41170/प्रो0-5-दयायाचिका/815, दिनांक 15-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कल्लू पुत्र श्री इद्रीश उर्फ जुम्मन, निवासी-कैम्बा, थाना-कुण्डा वर्तमान-हथिगवां, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.10.1976 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम व फरसा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-32/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 15.11.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 जेल अपील सं0-719/1980 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2003 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.07.2016 तक 12 वर्ष 05 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त दयायाचिका के आधार पर रिहा, 01 सहअभियुक्त की मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति के अनुसार मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-5841/04) पुत्र श्री इद्रीश उर्फ जुम्मन, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-173/2018/2999(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in